न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2026 राजनांदगाँव, दिनांक 30.06.2026

मैं अमिता जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह जुलाई–अगस्त 2026** के अवकाश के दिनों में अत्यावश्यक कार्य यथा–रिमांड आदि कार्य संपादित किए जाने हेतु **जिला मुख्यालय राजनांदगाँव** एवं **बाह्य मुख्यालय डोंगरगढ़** हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ड्यूटी दोपहर के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक मय स्टॉफ के लगाई जाती हैं –

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम	रिमांड ड्यूटी की तिथि	रिमांड ड्यूटी की तिथि
		माह– जुलाई 2026	माह– अगस्त 2026
1.	2.	3.	4.
01.	श्री मनीष कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	18, 19	16
02.	श्री पार्थ दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	11, 12	02
03.	कु. दंतेश्वरी नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	26	09, 26, 30
04.	कु.माधुरी मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	05	15, 23, 28

बाह्य न्यायालय डोंगरगढ़

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम	रिमांड ड्यूटी की तिथि	रिमांड ड्यूटी की तिथि
		माह– जुलाई 2026	माह– अगस्त 2026
1.	2.	3.	4.
1.	श्रीमती दीप्ति लकड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ (छ.ग.)	05, 11, 12, 18, 19, 26	02, 09, 15, 16, 23, 26, 28, 30

टीप –

1. उक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त यदि राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आकस्मिक रुप से दिनांक **01.07.2026 से दिनांक 31.08.2026** के मध्य कोई अवकाश घोषित किया जाता है तब की स्थिति में **कु.माधुरी मरकाम**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.) के द्वारा अत्यावश्यक रिमांड कार्य का संपादन किया जावेगा।

2. उक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त यदि राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आकस्मिक रुप से दिनांक **01.07.2026 से दिनांक 31.08.2026** के मध्य कोई अवकाश घोषित किया जाता है तब की स्थिति में **(कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ (छ.ग.) के मातृत्व अवकाश पर होने के कारण)श्रीमती दीप्ति लकड़ा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ (छ.ग.) के द्वारा अत्यावश्यक रिमांड कार्य का संपादन किया जावेगा।

..क्रमशः 02 पर

3. उक्त रिमांड तिथियों को रिमांड अधिकारी द्वारा अवकाश लिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा कार्य करने हेतु सहमत अधिकारी की सहमति सहित आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत रिमांड ड्यूटी निर्धारित किये जाने के उपरांत मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे ।

AMITA JAISWAL Digitally signed by AMITA JAISWAL

(अमिता जायसवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव(छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2026 राजनांदगाँव, दिनांक 30.06.2026

प्रतिलिपि –

01) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव महोदय को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02) पुलिस अधीक्षक, राजनांदगाँव की ओर उनके अधीनस्थ सर्व संबंधित थानों को संसूचित करने हेतु प्रेषित ।
03) श्री मनीष कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
04) श्री पार्थ दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
05) कु.माधुरी मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
06) कु.दंतेश्वरी नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
07) श्रीमती दीप्ति लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
08) श्रीमती वंदना मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.) की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अवकाश पर नहीं होने की दशा में संबंधित पीठासीन अधिकारी को रिमांड कार्य निष्पादन में सहयोग प्रदान करेंगी ।
09) निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव(छ.ग.)
10) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगाँव(छ.ग.)
11) अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगाँव/डोंगरगढ़ (छ.ग.)
12) जिला नाजिर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
13) सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव की ओर न्यायालय के वेबसाईट में **अपलोड करने हेतु प्रेषित** ।

AMITA JAISWAL Digitally signed by AMITA JAISWAL

(अमिता जायसवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव(छ.ग.)